

































































































































दिनांक 09.07.2012 की अवहेलना करके और उस पर उचित विचार करने में विफल रहकर एक गंभीर कानूनी त्रुटियां की।

37. इसके बाद, मुझे 2018 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. सं. 12593 वाले एक अन्य मामले का संदर्भ देना प्रासंगिक लगता है, जिसमें इसी तरह के विषय से संबंधित 30.08.2022 का आदेश महत्वपूर्ण है। उक्त निर्णय का प्रासंगिक अनुच्छेद यहाँ उद्धृत किया जाना उचित है।

*इस सवाल की जांच की जानी चाहिए कि क्या यह रिक्ति वर्ष 2008 से संबंधित होगी। यदि कोई व्यक्ति धोखाधड़ी के माध्यम से नियुक्ति प्राप्त करता है और वर्तमान मामले की तरह एक साथ वर्षों तक पद पर जारी/बना रहता है, तो उक्त शिक्षकों को वर्ष 2015 या उससे अधिक में समाप्त कर दिया गया था, क्या रिक्ति को 2008 में खाली माना जा सकता है।*

*इस अदालत की राय में, रिक्ति भर्ती के वर्ष से संबंधित नहीं होगी। चयन सीधी भर्ती द्वारा किया जाता है। एक व्यक्ति जो पद धारण करता है और अवैध रूप से उस पर कब्जा कर लेता है, इसलिए जब उसे हटा दिया जाता है या स्वेच्छा से इस्तीफा दे देता है, तो वह पद उस विशेष दिन खाली हो जाता है और बाद के वर्षों के लिए सीधी भर्ती के लिए उपलब्ध होगा।*

38. इसे ध्यान में रखते हुए, चूंकि नए भर्ती नियम 2012 के बाद प्रभावी/लागू हुए हैं, वर्ष 2015 में किसी ऐसे व्यक्ति के स्वैच्छिक इस्तीफे के कारण उत्पन्न होने वाली कोई भी रिक्ति, जिसने कानूनी माध्यमों से नियुक्ति प्राप्त की थी, उस समय खाली मानी जाएगी। नतीजतन, ऐसी रिक्तियों को 2012 की भर्ती नियमों या रिक्ति उत्पन्न होने के समय प्रचलित कोई अन्य नियमों के अनुसार सख्ती से भरा जाना चाहिए। नतीजतन, प्रारंभिक नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान आवेदन करने वाले व्यक्तियों के दावे कायम नहीं रहेंगे, क्योंकि चयन प्रक्रिया को प्रारंभिक नियुक्ति के समय मौजूद नियमों के बजाय रिक्ति के समय लागू कानूनी ढांचे के अनुरूप होना चाहिए। इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ मुद्दा No.III तय किया जाता है।

39. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और ऊपर चर्चा किए गए दृष्टान्त को ध्यान में रखते हुए, मैंने पाया कि राज्य अपीलीय प्राधिकरण ने उत्तरदाताओं द्वारा पसंद की गई सभी अपीलों को उचित रूप से अनुमति दी है और उन्हें बरकरार रखा गया है। नतीजतन, ये सभी रिट याचिकाएं खारिज कर दी जाती हैं।

40. अंतर्वर्ती आवेदन, यदि कोई हों, तो उनका भी निपटारा कर दिया जाएगा।

(अंजनी कुमार शरण, न्यायमूर्ति)

त्रिवेदी/-

खंडन (डिस्ट्रिक्चर)– स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।